

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

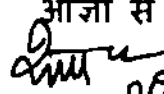
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2283 / 2020

दिनांक : 09.12.2020

सुश्री रंजना सर्राफ (RJ0403), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू को दिनांक 09.11.2020 से 10.11.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.11.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सर्राफ की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चूरू ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
 08/12/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/36/2002/ 5581

दिनांक : 9.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू को उनके पत्रांक 5352 दिनांक 12.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री रंजना सर्राफ (RJ0403), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चूरू।

 9.12.2020
सहायक रजिस्ट्रार